जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

Gen. No 13

69/15

मुन्तकिली प्रकरण सं0 69/2015 तकवीर सिंह केवल सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी चक 6द जीबी बी तहसील श्रीविजयनगर बनाम 1–निर्मलसिंह पुत्र तारासिंह जाति कम्बोज निवासी चक 6 जीबी बी तहसील श्रीविजयनगर 2–केवल सिंह पुत्र पाल सिंह 3– सहायक अभियंता जल संसाधन उपखण्ड श्रीविजयनगर 4– उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

19.01.2016

प्रार्थी के अभिभाषक श्री सतीशकुमार गोसाई उपस्थित है। अप्रार्थी निर्मल सिंह के अभिभाषक श्री कुलविन्द्र सिंह उपस्थित है उनके द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर के आदेश दिनांक 10.08.2015 की प्रति पेश की। दोनो पक्षो को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि प्रार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर के न्यायालय में लंबित अनवानी प्रकरण निर्मल सिंह बनाम तकवीरसिंह वगेरा ता0 पेशी 10.08.2015 में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना को लेकर यह यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र पेश किया है। अप्रार्थी निर्मलसिंह द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र के साथ सलंग्न उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर के निर्णय 10.08.2015 की फोटो प्रति के अवलोकन से पाया कि जिस प्रकरण को प्रार्थी मुन्तकिल करवाना चाहता है वह प्रकरण उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर के न्यायालय में प्रकरण सं0 207/2015 अनवानी निर्मलसिंह बनाम तकवीरसिंह वगैरा के रूप में अन्तर्गत धारा 251(ए) राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत दर्ज था जिसका निर्णय दिनांक 10.08.2015 को उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर द्वारा किया जा चुका है। इससे पूर्व भी इसी प्रकरण के संबंध में प्रार्थी तकवीर सिंह द्वारा मुन्तकिली प्रार्थना पत्र सं0 94/2013 अनवानी तकवीरसिंह बनाम सलविन्द्र सिंह वगैरा का निर्णय 24.03.14 को व मुन्तकिली प्रा0 पत्र सं0 17/2014 अनवानी तकवीरसिंह बनाम सलविन्द्रसिंह वगैरा के रूप में दिनांक 03.11.14 को निर्णित किये जाकर खारिज किये जा चुके है। जिससे स्पष्ट है कि उक्त प्रकरण को मुन्तकिल करवाने के लिए बार बार मुन्तकिली प्रा0 पत्र प्रस्तुत होते रहे है।

चूंकि उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर द्वारा वर्तमान में लंबित प्रकरण संख्या 207/2015 निर्मल सिंह बनाम तकवीरसिंह आदि का दिनांक 10.08.2015 को निर्णय किया जा चुका है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र निष्प्रभावी होने से खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 19.01.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी. सी. किशन)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर